न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**
आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1.पुनमाराम पुत्र अणदाजी		1.राजू के कायम मुकाम
2.मोटाराम पुत्र अणदाजी		1/1.चेनाराम पुत्र स्व.राजू
जाति जाट निवासी जाणीयो की ढाणी		1/2.खूमाराम पुत्र स्व.राजू
तहसील बागोडा जिला जालोर		1/3.वाली पुत्री स्व.राजू
		1/4.अणसी पुत्री स्व.राजू
		1/5.सुगणी देवी पत्नि स्व.राजू
		2.सुरजन वल्द टिकमा तमाम जाति जाट निवासी जाणीयो की ढाणी तहसील बागोडा जिला जालोर
		3.भूमिधारी तहसीलदार बागोडा
प्रकरण संख्या अपील		**37/2016**

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-
1-श्री त्रिलोकचंद मेहता अभिभाषक अपीलांटस
2-रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।
3-श्री निखिल दवे अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-12.02.2018

1. अपीलान्टस ने यह अपील तहसीलदार बागोडा के आदेश दिनांक 03.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जो प्रकरण संख्या 4/2011 खातेदार पूनमा, मोटा पि. अणदा, सूरजन वल्द टिकमा, चेनाराम, खूमाराम, पि. राजू, वाली, अणसी पुत्रीया राजू, सुगणी देवी पत्नि स्व.राजू कौम जाट साकिन जाणीयो की ढाणी तहसील बागोडा में अर्न्तगत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पारित किया है।

2. अपीलांटस द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया जो प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलांटस के विद्यान अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलांट अनपढ व्यक्ति है तथा अपीलाधीन आदेश अपीलांटस को रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 ने धोखे में रखते हुये गलत आधारो पर बंटवाडा करवाया है। अपीलाधीन आदेश राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के विपरित अपीलांट को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना मौका स्थिति समझाये पारित हुआ है। जिससे अपीलांट के हकूको पर कुठाराघात हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष बंटवाडे का प्रार्थना पत्र पेश हुआ, जिस पर बंटवाडा किया गया लेकिन बंटवाडा में भूमिधारी ने अपीलांट के रकबे को एवं जमीन की किस्म के अनुसार बंटवाडा नही कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कायम मुकाम अपीलांटस को धोखे में रखते हुये व अनपढ का फायदा उठाते हुये अच्छी किस्म की जमीन रेस्पोडेन्ट नंबर 2 के बंट में दे दी तथा खसरा नंबर 1102, 1103 नदी की जमीन बंटवाडे में अपीलांट को देना प्रार्थना पत्र में लिखवा दिया। यहां तक कि अपीलांटस को बंटवाडे में दी गई जमीन खसरा नंबर 545 में बनी ढाणी व पानी का टांका रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के हक में बटवाडा प्रस्ताव में लिखवा दिया तथा बंटवाडे के प्रस्ताव की पालना में पटवारी हल्का से भूमिधारी ने रिपोर्ट नहीं मंगवाई न ही मौका स्थिति का अवलोकन किया गया तथा रेस्पोडेन्ट नंबर 1 पढे लिखे होने से रेस्पोडेन्ट नंबर 2 से व पटवारी हल्का से मिलावट कर गलत बंटवाडा प्रस्ताव लिखवा कर प्रस्तुत किया ओर गलत बंटवाडा प्रस्ताव में अपीलांट की रहवासीय ढाणी एवं पानी का टांका नही बताते हुये बतौर रास्ता रेकर्ड में दर्ज किया गया। जिससे अपीलांट के हकूको पर कुठाराघात हो रहा है एवं खसरा नंबर 1102 व 1103 नदी होने व अनउपजाउ आराजी होने से बंटवाडा प्रस्ताव में

अपीलांट को दे दी और अच्छी व उपजाउ जमीन को रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 ने अपने बंट में रख दी लेकिन भूमिधारी का दायित्व था कि बंटवाडे के समय मौका रिपोर्ट मंगवाते जमीन कि किस्म के अनुसार प्रत्येक खातेदार को उपजाउ व अन उपजाउ आराजी बटवाडे में देनी आवश्यक है तथा कुछ रकबा शामालाती में रखा जिसका कोई कारण नही था। ऐसी स्थिति में भूमिधारी तहसीलदार के लिये आवश्यक था कि संपूर्ण आराजी का अनुपात के अनुसार बंटवाडा करना चाहिये था। भूमिधारी तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव पर अपीलांट के अंगुष्ठ निशान धोखे में रखकर करवाकर प्रस्तुत किया गया है तथा तहसीलदार ने भी बंटवाडे प्रस्ताव को अपीलांट को पढकर नही सुनाया न ही उनकी सहमति प्राप्त की तथा बंटवाडा प्रस्ताव कुटरचित होने व अपीलांट के हकूको पर कुठाराघात करने वाला है। जिसकी पालना में पारित अपीलाधीन आदेश अपीलांट के हकूको पर कुठाराघात करने वाला होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलांट हुये बंटवाडे से सहमत नही है तथा पुनःउपजाउ व अनउपजाउ जमीन का बंटवाडा अनुपात के अनुसार करवाना चाहते है। जिससे किसी भी पक्ष के अधिकारो पर कुठाराघात न हो एवं अपीलांट शामलाती में बताये गये रकबे का भी बंटवाडा करवाना चाहते तथा अपीलाधीन आदेश गलत बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर हुआ है तथा खसरा नंबर 545 के उत्तर में जो रास्ता दर्शित किया है। मौके पर रास्ता नही है बल्कि अपीलांट का टांका व ढाणी बनी हुई है तथा उक्त रास्ते की आड में दिनांक 09.07.2016 को पटवारी हल्का मौके पर जाकर अपीलांट की बनी ढाणी व पानी का टांका नाप तोल कर हटाने की चेष्ठा की जिस पर अपीलांट को प्रथमबार गलत बंटवाडा प्रस्ताव पेश करवाने की जानकारी हुई। उसके पूर्व अपीलांट को ढाणी से बेदखल करने की कोशिश नही की । जिससे जानकारी नही हो सकी। अपीलांट खेत पर निवास करते है तथा इस ढाणी के अलावा अपीलांट के अन्य रहवासीय स्थल नहीं है तथा इस ढाणी की आराजी अपीलांट के बंट में दिया जाना आवश्यक है जिससे भविष्य में विवाद न हो तथा राजस्व नक्शे में दर्शित रास्ता भी हटाया जाना आवश्यक है। मौके पर रास्ता नहीं है तथा गलत रूप से रास्ता दर्शित किया गया है जिससे भी अपीलांट के हकूको पर कुठाराघात हो रहा है जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त करना न्यायसंगत है क्योकि बंटवाडे के लिये प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव से अपीलांट सहमत नही है तथा उक्त बंटवाडा प्रस्ताव धोखे में रखकर कुटरचित तैयार कर पेश किया गया है। अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 09.07.2016 को गलत बंटवाडा होने की जानकारी हुई तब अपीलांट ने जांच पडताल कर लोगो से सहयोग कर अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजो की मांग हेतु आवेदन पेश किया तथा उसी दिन नकले प्राप्त की तथा नकल प्राप्त कर जानकारी होते ही बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की है। अत: अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर पत्रावली में प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व बंटवाडा निरस्त किया जावे।

4. रेस्पोडैन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस में व्यक्त किया गया कि प्रश्नगत बंटवाडा आपसी सहमति से किया गया है। प्रस्तावित आपसी सहमति बंटवाडा पर अपनी स्वीकृति ही प्रदान करनी होती हैं। आपसी सहमति पूर्वक किए जा रहे बंटवाडा में सह खातेदार अपने हिस्से की भूमि कम अथवा अधिक एक दूसरे को देने अथवा लेने हेतु स्वतंत्र होते हैं। आपसी सहमति से किया गया बंटवाडा वैद्य है। अत: अपीलांटस की अपील खारिज की जावे।

6. सरकारी अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी का आपसी सहमति से आवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं, जो विधीवत है। अत: अपीलांट की अपील अस्वीकार की जावे।

7. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई के न्यायहित में अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्टस ने आपसी सहमति अनुसार धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किए गए बंटवाडा आदेश दिनांक 03.02.2011 के विरूद्ध अपील की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी मौजा जाणीयो की ढाणी तहसील बागोडा का आपसी सहमति अनुसार बंटवाडा खातेदारो द्वारा प्रस्तावित किया जाकर उस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम के तहत अधीनस्थ न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था, जिसकी जांच पटवारी हल्का द्वारा की गई और तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम के तहत प्रस्तावित बंटवाडा की अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2011 के द्वारा प्रदान स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त प्रस्तावित बंटवाडा स्वंय अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस द्वारा आपसी सहमति पूर्वक लिखवाया

जाकर प्रस्तावित कर भूमिधारी से उस पर तदनुसार स्वीकृति प्राप्ति हेतु आवेदन किया गया था। धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत होने वाले बंटवाडे में भूमिधारी/तहसीलदार को अपनी ओर से कोई भी बंटवाडा किए जाने का आदेश पारित नहीं किया जाता हैं, उनके द्वारा तो सिर्फ खातेदार व सह खातेदारो द्वारा प्रस्तावित आपसी सहमति बंटवाडा पर अपनी स्वीकृति ही प्रदान करनी होती हैं। आपसी सहमति पूर्वक किए जा रहे बंटवाडा में सह खातेदार अपने हिस्से की भूमि कम अथवा अधिक एक दूसरे को देने अथवा लेने हेतु स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार उभय पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत बंटवाडा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया स्वीकृति आदेश विधी सम्मत पाया जाता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2011 को यथावत रखा जाता है ।

(बी.एल कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय दिनांक 12.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर